

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार रावत,
सिविल जज(सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

श्रीमान निबन्धक(न्यायिक)(गोपनीय),
माननीय उच्च न्यायालय—इलाहाबाद।

द्वारा—

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।

विषय:—

प्रार्थी के वार्षिक स्व-आकलन वर्ष 2020-21 में माननीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश उरई द्वारा प्रार्थी के वार्षिक प्रविष्टि में की गयी टिप्पणी के संबंध में प्रतिवेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिसूचना संख्या-1768/एडमिन (सर्विसस) 2020, दिनांकित 08.09.2020 के द्वारा दिनांक 16.09.2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया तथा आकलन वर्ष 2020-21 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत रहा है।

प्रार्थी के वार्षिक स्व-आकलन 2020-21 में तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जालौन स्थान उरई द्वारा प्रार्थी की वार्षिक प्रविष्टि में प्रार्थी को "उग्र स्वाभावी" (Short Tempered) होने का उल्लेख किया है। प्रार्थी के वार्षिक स्व-आकलन वर्ष 2020-21 में तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश उरई द्वारा की गयी उक्त टिप्पणी के संबंध में प्रार्थी निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है—

1— यह कि सादर निवेदन करना है कि तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, जालौन स्थान उरई द्वारा प्रार्थी के वर्ष 2020-21 के वार्षिक स्व-आकलन में, आवेदक की सत्यनिष्ठा असंदिग्ध दर्शित करते हुए जन सामान्य एवं बार संघ के सदस्यों के साथ आवेदक का आचरण निष्पक्ष व उचित होना दर्शाया गया है तथा आवेदक के व्यक्तिगत चरित्र को उत्तम होना धारित किया गया है। इसके साथ ही माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा यह भी निष्कर्ष प्रदान किया गया है कि आवेदक द्वारा अपने न्यायालय व कार्यालय का प्रभावी व ससमय

निरीक्षण करते हुए न्यायालय समयबद्धता का समुचित रूप से पालन करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया है, इसके अतिरिक्त आवेदक को महिलाओं के प्रति सम्मान जनक व्यवहार व संवेदना रखने वाला दर्शित करते हुए बार संघ के सदस्यों एवं जनपद में कार्यरत अन्य न्यायिक अधिकारियों से सौहार्दपूर्ण संबंध होना भी दर्शाया गया है।

2— यह कि सादर निवेदन करना है कि आवेदक द्वारा स्व-आकलन वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के बावजूद निर्धारित कार्य के मानक 1200 यूनिट के सापेक्ष 2318.79 यूनिट कार्य का सम्पादन किया गया है। इसके साथ ही आवेदक द्वारा 1409 प्राचीन फौजदारीवादों का निस्तारण करते हुए 06 वाद पूर्ण गुणदोष के आधार पर निस्तारित किए गए हैं तथा कुल 10,253 फौजदारी निस्तारित किए गए हैं एवं 755 मामलों का निस्तारण लोक अदालत में किया गया है।

3— यह कि सादर निवेदन करना है कि तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यद्यपि आवेदक के स्व-आकलन के कॉलम सं0 2 में आवेदक का सम्पूर्ण आकलन "अच्छा"(Good) की श्रेणी में रखा गया है, स्व-आकलन के कॉलम संख्या 1 (C) में आवेदक के प्रतिकूल कथित विभिन्न मौखिक शिकायतों के आधार पर आवेदक को "उग्र स्वाभावी" (Short Tempered) होना दर्शाया गया है जो पूर्णतः वास्तविकता के विपरीत, काल्पनिक एवं आधारहीन है तथा तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पूर्वाग्रह का परिणाम है।

4— यह कि सादर निवेदन करना है कि यद्यपि माननीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा आवेदक के स्वभाव के प्रतिकूल विभिन्न मौखिक शिकायतें प्राप्त होने का कथन किया गया है, परन्तु सम्पूर्ण आंकलन वर्ष के दौरान न तो इस संबंध में आवेदक को कोई नोटिस/अर्द्धशासकीय पत्र निर्गत कर स्पष्टीकरण आहूत किया गया है और न ही कोई यथोचित विभागीय कार्यवाही सम्पादित की गयी है। निवेदन यह है कि आवेदक के प्रतिकूल "उग्र स्वाभावी" (Short Tempered) होने संबंधी आक्षेपण के समर्थन में वर्ष पर्यन्त एक भी

मौखिक अथवा प्रलेखीय दृष्टान्त नहीं रहा है, जिसके दृष्टिगत माननीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वारा दिया गया उक्त निष्कर्ष समुचित आधारों से कदापि समर्थित नहीं है।

5— यह कि सादर निवेदन करना है कि एक तरफ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा आवेदक के व्यक्तिगत चरित्र को उत्तम तथा बारसंघ एवं न्यायिक अधिकारियों एवं महिलाओं के साथ आचरण मानक के अनुरूप संवेदनशील व सौहार्दपूर्ण होना बताया गया है, इसके प्रतिकूल दूसरी तरफ बिना किसी आधार अथवा दृष्टान्त के आवेदक को “उग्र स्वाभावी” (Short Tempered) होना दर्शित किया गया है, जो परस्पर विरोधाभासी एवं असंगत है, क्योंकि उपर्युक्त दोनो परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न होना कदाचित् सम्भव नहीं है।

6— यह कि सादर निवेदन करना है कि आवेदक द्वारा गुणदोष पर निस्तारित वादों तथा निर्धारित मानक से अधिक किए गए न्यायिक कार्य एवं अन्य धनात्मक टिप्पणियों के आलोक में तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जालौन स्थान उरई द्वारा आवेदक की वार्षिक प्रविष्टि में आवेदक के स्वभाव के संबंध में की गयी टिप्पणी “उग्र स्वाभावी” (Short Tempered) विरोधाभासी व असंगत है।

7— यह कि आवेदक द्वारा पूरे आकलन वर्ष में निर्णीत प्राचीन वादों एवं किए गए कार्य की तुलना जनपद में पदस्थ अन्य न्यायिक अधिकारियों के कार्य व आचरण से की जा सकती है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि आवेदक के वार्षिक स्व-आकलन वर्ष 2020-21 के कालम संख्या 1 (C) में माननीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई द्वारा आवेदक के स्वभाव के विषय में की गयी टिप्पणी “उग्र स्वाभावी” (Short Tempered) को निरसित करते हुए सम्पूर्ण आकलन “अच्छा” (Good) की प्रविष्टि को भी उच्चिकृत करने की कृपा करें। आवेदक माननीय महोदय का सदैव आभारी रहेगा।

सादर।

दिनांक-21.10.2021

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार रावत)
सिविल जज(सी०डि०),
जालौन स्थान उरई।